जयपुर शहर प्रथम

15/02/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी प्रार्थीगण को बार बार कई-कई बार न्यायालय समय में न्यायालय कक्ष समाप्ति तक आवाजें लगवाई गई बावजूद वकील प्रार्थी प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आज खारिज की जाकर पत्रावली में खारिज किया जाता है। पत्रावली पर नियमानुसार एक दिवस पेशी शुमार हेतु शीघ्र दफ्तर है। नियमानुसार आज खुले न्यायालय में दिनांक 15/02/2022 को सुनाया जाता।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:55:41 IST
Reason: SelfAttested